



भारत सरकार, रेलवे मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड्स



प्रकाशन की तिथि : 13.02.2010

बंद होने की तिथि और समय : 17.03.2010, 17.30 बजे तक

केंद्रीयकृत रोजगार सूचना संख्या : 02/2010

गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी (लातक) के निम्नलिखित पदों के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से विभाजन में दिये गये निर्धारित प्रश्न में (80 जीएसएम के अच्छी गुणवत्ता के ए-4 आकार के बाण्ड पेपर पर, केवल एक तरफ से प्रयोग करें) आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। हर प्रकार से पूर्ण किए गए आवेदन पत्र, साथ में अपेक्षित संलग्नक संलग्न करते हुए इस अधिसूचना के पैरा 15 में प्रेषित संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड के पास डाक में प्रेषित किए जाने चाहिए ताकि ये 17.03.2010 को 17.30 बजे तक या इससे पूर्व पहुंच जाएं। आवेदन पत्र संबंधित रेलवे परिसर में रखे गए बॉक्स में भी, बंद होने की तिथि तक, डाले जा सकते हैं। जो उम्मीदवार अरुम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ताहिल और स्पीति जिलों तथा चंबा जिले की पानी सब-डिवीजन, अण्डमान निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूहों में तय विदेश में रहते हैं उनके लिए डाक से आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि 01.04.2010 सायं 17.30 बजे तक है। उम्मीदवार कृपया नोट करें : (1) लिखित परीक्षा सभी सहभागी रेलवे बोर्डों द्वारा एक ही दिन आयोजित की जाएगी। (2) सहभागी रेलवे बोर्डों ने स्थानीय भाषा का विकल्प दिया है। उम्मीदवारों के पास आवेदन करते समय कोई भी एक स्थानीय भाषा का विकल्प चुनने का अवसर है। (3) अजा/अजजा/भूपुर/शारीरिक विकलांग/महिला/अल्पसंख्यक/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों, जिनकी वार्षिक परिवारिक आय रु. 50000 से कम है, के लिए कोई परीक्षा शुल्क नहीं है। (4) पात्र उम्मीदवार जिन्होंने नीचे रिक्ति सारणी में कॉलम 15 में वर्णित पूर्व की अधिसूचनाओं के तहत आवेदन किया है, लेकिन अभी परीक्षा होनी है उन्हें समान रेलवे में पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन वह स्वयं के जोखिम पर एक से अधिक रेलवे के लिए आवेदन करने को स्वतंत्र हैं, क्योंकि परीक्षा सभी रेलवे एक ही दिन आयोजित करेंगे। अपात्र उम्मीदवार जिनके आवेदन-पत्र नामपूर कर दिये गये हैं, नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं।

कोटि सं.	पद का नाम	वेतन बैंड और जीपी (र. रें)	रेलवे का नाम	रिक्ति सूचित करने वाला रेलवे	रिक्तियों की संख्या (पूर्व में अधिसूचित, लेकिन अभी परीक्षा होनी है, जहां नई रिक्तियां)										पूर्व में अधिसूचित रिक्तियों की कोटि सं. एवं रो.सू.सं. लेकिन परीक्षा अभी होनी है	विक्रिसा वेणी	1.07.10 को सामान्य आरु (वर्ष में)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	जशाक्त व्यक्त की उपयुक्तता दृष्टि/अधि/अधि	परीक्षा शुल्क (रु.)	परीक्षा के चरण		
					अजा		अजजा		अधि		कुल		भूपुर									शावि	
					अजा	अजजा	अधि	कुल	भूपुर	दृष्टि	अधि	अधि	अधि	अधि									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			

कोटि संख्या 01 एवं 02 के लिए एकल आवेदन पत्र प्रस्तुत करें (आवेदन प्रश्न की मद संख्या 01 में प्राथमिकता क्रम का उल्लेख करें)

01	नामितिक अर्पित	9300-34900 जीपी 4200	अहमदाबाद	र.रे.	01	01	00	00	02	00	00	00	00	-	सी-1	18-33	विश्वविद्यालय डिग्री या इसके समकक्ष रेल परिवहन संस्थान से रेल परिवहन और प्रबंधन में डिप्लोमा अतिरिक्त वांछनीय योग्यता होगी	अधि (ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, एमडब्ल्यू) तथा श्रुति के लिए उपयुक्त	60/-	दो चरण की लिखित परीक्षा, तदुपरांत दस्तावेजों का सत्यापन
					01	01	00	00	02	00	00	00	00							
			अजमेर	उ.प.रे.	06	02	01	03	12	00	00	00	00	-						
			इलाहाबाद	उ.प.रे.	02	02	01	03	08	01	00	00	00	-						
			बिलासपुर	द.पू.म.रे.	05	01	01	03	10	01	00	01	00	-						
			चंडीगढ़	उ.रे.	04	01	01	03	09	00	00	00	00	-						
			गोरखपुर	उ.पू.रे.	05	03	02	04	14	00	00	00	00	-						
			जम्मू-कश्मीर	उ.रे.	10	02	02	06	20	02	00	01	00	-						
			कोलकाता	द.पू.रे.	12	07	05	02	26	03	00	01	00	-						
			भारतवा	द.पू.रे.	02	00	00	01	03	00	00	00	00	-						
			मुंबई	प.रे.	17	02	02	12	33	03	00	04	00	-						
			मुंबई	म.रे.	22	08	06	10	46	05	00	00	00	-						
			मुजफ्फरपुर	पू.म.रे.	22	07	04	13	46	05	00	01	00	-						
			पटना	पू.म.रे.	62	16	05	18	101	10	00	01	01	25(1/06-07)						
			रांची	द.पू.रे.	10	07	03	11	31	02	00	00	00	01(1/2008)						
			रांची	पू.म.रे.	01	00	00	00	01	00	00	00	00	-						
			शिकंदराबाद	द.म.रे.	12	03	00	02	17	01	00	00	01	-						

कोटि सं. 03 एवं 04 के लिए एकल आवेदन पत्र प्रस्तुत करें (आवेदन प्रश्न की मद सं. 01 में वरीयता क्रम का उल्लेख करें)

03	पूछताछ सह आसक्षण लिपिक	5200-20200 जीपी 2800	अजमेर	उ.प.रे.	04	01	01	02	08	00	00	00	00	-	सी-1	18-33	विश्वविद्यालय डिग्री या इसके समकक्ष	दृष्टि (बी, एलवी), अधि (ओए, ओएल, बीएल, ओएएल) तथा श्रुति के लिए उपयुक्त	60/-	दो चरण की लिखित परीक्षा, तदुपरांत दस्तावेजों का सत्यापन
					04	01	01	02	08	00	00	00	00							
			इलाहाबाद	उ.प.रे.	02	04	02	01	09	01	00	00	00	-						
			बंगलौर	द.प.रे.	00	00	00	00	02	00	00	02	00	51(जेईएन, 01/2008)						
			भोपाल	प.म.रे.	00	00	02	00	02	00	00	01	00	-						
			मुंबई	पू.म.रे.	04	03	00	02	09	01	01	01	00	08(1/2008)						
			बिलासपुर	द.पू.म.रे.	02	01	00	01	06	00	00	02	01	-						
			चेन्नै	द.रे.	26	07	10	08	51	05	00	01	00	-						
			जम्मू श्रीनगर	उ.रे.	00	00	03	06	09	01	00	00	00	-						
			मुंबई	म.रे.	06	02	00	02	10	01	05	00	00	-						
			मुजफ्फरपुर	पू.म.रे.	06	07	04	01	18	02	00	02	00	-						
			पटना	पू.म.रे.	05	04	01	02	12	01	00	04	00	-						
			रांची	पू.म.रे.	01	00	00	00	01	00	00	01	00	-						
			शिकंदराबाद	द.म.रे.	00	00	02	00	02	00	01	00	00	-						
			शिकंदराबाद	द.रे.	08	00	00	00	08	00	00	01	00	-						

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
04	गुप्त गाई	5200-20200 जीपी 2800	अजमेर इलाहाबाद बंगलौर बोपाल भुवनेश्वर बिलासपुर चंडीगढ़ चेन्नै जम्मू-श्रीनगर कोलकाता मुंबई रांची सिकंदराबाद तिरुवनंतपुरम	उ.प्र.रे. उ.प्र.रे. द.प्र.रे. प.प्र.रे. पू.प्र.रे. म.प्र.रे. उ.प्र.रे. द.प्र.रे. उ.प्र.रे. द.प्र.रे. म.प्र.रे. द.प्र.रे. द.प्र.रे. पू.प्र.रे. द.प्र.रे.	35 22 23 00 25 40 00 25 04 39 91 85 34 16 19	13 08 06 00 08 13 00 08 02 15 77 25 21 08 09	09 04 06 00 03 06 15 04 06 26 34 30 15 04 10	24 14 03 26 13 22 08 06 10 86 47 168 102 09 37 03	80 48 38 00 49 81 02 04 10 86 25 17 34 09 37 03	05 05 04 00 05 08 02 01 03 09 25 17 09 03 03	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	- - - - - - - - - - - - - - -	ए-2	18-83	विश्वविद्यालय डिग्री या इसके समकक्ष	**9% रिक्तियां अगले आदेश तक शारीरिक फिटनेस के लिए आरक्षित रखी गई हैं।	60/-	दो चरण की लिखित परीक्षा, तदुपरान्त दस्तावेजों का तसत्यापन	

कोटि सं. 05 और 06 के लिए एकल आवेदन प्रस्तुत करें (आवेदन पत्र की मद सं. 1 में प्राथमिकता के क्रम का उल्लेख करें)

05	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंकक	5200-20200 जीपी 2800	अहमदाबाद अजमेर इलाहाबाद बंगलौर भुवनेश्वर चेन्नै मुंबई पटना	प.प्र.रे. उ.प्र.रे. उ.प्र.रे. द.प्र.रे. पू.प्र.रे. आईसीएफ प.प्र.रे. म.प्र.रे. पू.प्र.रे. सीडब्ल्यूपी	27 09 28 00 03 29 00 38 28 16 05	08 06 11 07 00 03 14 29 09 02	04 01 07 00 00 10 06 29 04 01	14 05 17 03 00 01 21 08 10 03 11	53 21 63 00 01 66 07 13 01 37 04	05 00 06 00 00 01 00 00 00 00	14 00 00 01 01 01 01 01 01 01	15 01 01 01 01 01 01 01 01 01	14 01 01 02 01 01 01 01 01 01	- - - - - - - - - - <th>सी-1</th> <th>18-83</th> <th>विश्वविद्यालय डिग्री या इसके समकक्ष प्रथम और द्वितीय श्रेणी के साथ, आनर्स और मास्टर्स डिग्री धारी व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी टंकण में अंग्रेजी में 30 श.प्र.मि. और हिंदी में 25 श.प्र.मि. की गति</th> <th>दृष्टि (बी, एलवी), अवि (ओए, ओएल, बीएल, और श्रवि हेतु उपयुक्त</th> <th>60/-</th> <th>दो चरण की लिखित परीक्षा, अर्हक टंकण परीक्षा, तदुपरान्त दस्तावेजों का तसत्यापन</th>	सी-1	18-83	विश्वविद्यालय डिग्री या इसके समकक्ष प्रथम और द्वितीय श्रेणी के साथ, आनर्स और मास्टर्स डिग्री धारी व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी टंकण में अंग्रेजी में 30 श.प्र.मि. और हिंदी में 25 श.प्र.मि. की गति	दृष्टि (बी, एलवी), अवि (ओए, ओएल, बीएल, और श्रवि हेतु उपयुक्त	60/-	दो चरण की लिखित परीक्षा, अर्हक टंकण परीक्षा, तदुपरान्त दस्तावेजों का तसत्यापन
06	वरि. लिपिक सह टंकक	5200-20200 जीपी 2800	अहमदाबाद अजमेर इलाहाबाद बंगलौर भुवनेश्वर बिलासपुर जम्मू-श्रीनगर मुजफ्फरपुर पटना रांची सिकंदराबाद तिरुवनंतपुरम	प.प्र.रे. आरएससी प.प्र.रे. उ.प्र.रे. द.प्र.रे. आरएससी पू.प्र.रे. द.प्र.प्र.रे. सीडब्ल्यूपी पू.प्र.रे. पू.प्र.रे. द.प्र.प्र.रे. पू.प्र.रे. द.प्र.प्र.रे. पू.प्र.रे. द.प्र.प्र.रे.	13 01 06 01 06 00 00 27 14 14 00 03 00 00	05 00 03 04 00 00 10 00 02 04 02 01 05 08 12	03 00 01 00 00 04 00 00 08 07 02 01 05 04 03 02 03	07 00 00 02 01 04 10 00 06 00 06 00 00 00 00	28 01 13 01 15 01 04 00 00 28 03 27 02 02 02 02	02 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 01 01 01 01 01 01 01	00 00 00 02 01 01 01 01 01 01	- - - - - - - - - - - - - - -	सी-1	18-83	विश्वविद्यालय डिग्री या इसके समकक्ष टंकण में दक्षता @ 30 श.प्र.मि. अंग्रेजी में या @ 25 श.प्र.मि. हिंदी में	दृष्टि (बी, एलवी), अवि (ओए, ओएल, बीएल, एवं श्रवि	60/-	दो चरण की लिखित परीक्षा, अर्हक टंकण परीक्षा, तदुपरान्त दस्तावेजों का तसत्यापन	

प्रमुख सहायक: ए-2 और सी-1 विकिसमा श्रेणी के विभिन्न स्तर, जिन्हें उम्मीदवार को रेलवे में नियुक्ति से पूर्व पास करना होगा, बी - बुद्धिहीन, बीएल - दोनों टांगे, बीएलए - दोनों टांगे और दोनों बाजू, म.रे - मध्य रेलवे सीडब्ल्यूपी - कार्टर व्हील प्लांट, डीडी - डिमाण्ड ड्राफ्ट, डीएलडब्ल्यू - डीएल डीकोमोडोस वर्कर्स, डीएल डब्ल्यू - डीएल डीकोमोडोस वर्कर्स, पूरे - पूर्ण रेलवे, पूरे - पूर्वी मध्य रेलवे, पूरे - पूरबी मध्य रेलवे, रोसु - रोजगार सूचना, भूपुरी - भूतपूर्व सैनिक, जीपी - ग्रेड वेतन, श्रिनि - श्रम विकलांग, आईसीएफ - इंटरनेट कोच सिकंदरा, आईसीओ - भारतीय फोर्टल आई, एलवी - कम ड्रिफ्ट, एनडब्ल्यू - मस्कुलर वोकनेस, एनओसी - अनापत्ति प्रमाण-पत्र, उ.रे - उत्तर रेलवे, उ.प्र.रे - उत्तर मध्य रेलवे, उ.प्र.रे - उत्तर पूर्वी रेलवे, उ.प्र.रे - उत्तर पश्चिमी रेलवे, ओए - एक बाजू, ओएएल - एक बाजू और एक टांग, अवि - अन्न पिछड़े वर्ग, अवि - अन्न विकलांग, ओएल - एक टांग, श्रवि - शारीरिक विकलांग, रे - रेलवे, रेमबी - रेलवे भर्ती बोर्ड, आरएससी - रेलवे स्टाफ कॉलेज, आरडब्ल्यूएफ - रेल व्हील फेक्टरी, अजा - अनुसूचित जाति, अजमा - अनुसूचित अजाति, दरे - दक्षिणी रेलवे, दमरे - दक्षिण मध्य रेलवे, दपूरे - दक्षिण पूर्व रेलवे, दपूर - दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दपरे - दक्षिणी पश्चिम रेलवे, अजा - अनापत्ति (सामान्य), दृष्टि - दृष्टिक विकलांग, प.प्र.रे - पश्चिमी रेलवे, प.प्र.रे - पश्चिम मध्य रेलवे.

साधारण अनुदेश

- 1.01 किसी पद के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे सभी पात्रता मानकों को पूरा करते हैं/करती हैं। उम्मीदवार के पास आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अर्थात् शैक्षिक/तकनीकी योग्यता होने चाहिए. अंतिम परीक्षा के परिणाम का उल्लेख करने वाले आवेदन पत्र करें. यदि उम्मीदवार अपेक्षित मानक पूरा नहीं करता है तो रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवार के आवेदन को रद्द कर सकता है और यदि नियुक्ति हो जाती है तो ऐसे उम्मीदवार को सेवा से हटाकर हटा दिया जाएगा
 - 1.02 ऐसे उम्मीदवार, जिन्हें रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा से जीवन भर के लिए रोका गया है और उम्मीदवार जिन्हें एक निश्चित अवधि के लिए रोका गया है और वह अवधि अभी तक पूरी नहीं हुई है, इस रोजगार सूचना के प्रत्यक्ष में आवेदन न करें.
 - 1.03 उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र स्वयं की लिखाई में प्रारंभ चाहिए सच्चा निर्धारित स्थानों पर अपने हस्ताक्षर के साथ-साथ बाएं हाथ के अंगुठी का निशान लगाना चाहिए. आवेदन पत्र अंग्रेजी में या हिंदी में भरने चाहिए. आवेदन केवल एक और प्रयोग करते हुए अर्थात् गुणवत्ता के ए-4 आकार के बांड पत्र (80 जीएसएम) पर होना चाहिए. यथाधार पत्र की कतरन की आवेदन के रूप में उपयोग न करें. बाजार से छपा हुआ आवेदन पत्र खरीदने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि यह रोजगार समाचार में प्रकाशित निर्धारित प्रश्न के समान हो. उम्मीदवार रोजगार समाचार में दिए गए आवेदन प्रश्न की फोटो कॉपी भी कर सकते हैं और पत्र आवेदन प्रश्न की फोटो कॉपी भी कर सकते हैं और पत्र आवेदन प्रश्न की फोटो कॉपी भी कर सकते हैं. निस्तुत रोजगार सूचना रेलवे भर्ती बोर्ड के कार्यालय में सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित की गई है. उम्मीदवार अंतिम तिथि से पर्याप्त पहले आवेदन भेजें. रेलवे भर्ती बोर्ड चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण पर डाक में विलंब गलत सुपुर्दागी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
 - 1.04 उम्मीदवारों को आवेदन पत्र और सूचना शीट में प्रदत्त निर्धारित स्थान पर अंग्रेजी या हिन्दी में हस्ताक्षर करना है. आवेदन पत्र, सूचना शीट, उत्तर पत्र, प्रश्न बुकलेट और अन्य स्थानों पर हस्ताक्षर एक समान होना चाहिए. हस्ताक्षर रॉबिंध हैंड में होना चाहिए न कि बड़े जखर या जखन-अन्न अक्षरों में. आवेदन लिखित परीक्षा और प्रलेख तसत्यापन के समय विभिन्न तरीके या भाषा में हस्ताक्षर से उम्मीदवारों रद्द की जा सकती है.
- समूह I केवल 60 रु. के शुल्क के साथ कोटि सं. 01 एवं 02 के लिए एकल आवेदन पत्र
समूह II केवल 60 रु. के शुल्क के साथ कोटि सं. 03 एवं 04 के लिए एकल आवेदन पत्र
समूह III केवल 60 रु. के शुल्क के साथ कोटि सं. 05 एवं 08 के लिए एकल आवेदन पत्र
- (क) उम्मीदवारों को संयुक्त कोटियों के लिए ऊपर बताए अनुसार एकल आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा. आवेदन-पत्र में कोटियों की परीक्षा क्रम का विधिवत उल्लेख करें. कोटियों की प्राथमिकता का उल्लेख करना उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है.
 - (ख) ऐसी संयुक्त कोटियों के लिए संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाएगी अर्थात् उम्मीदवार को प्राथमिकता के अनुसार ऐसी संयुक्त श्रेणियों के भीतर सभी श्रेणियों के लिए आयोजित एकल परीक्षा में बैठना होगा. ऐसे उम्मीदवारों को सभी आवेदित कोटियों को शामिल करते हुए संयुक्त कोटियों के लिए एकल अनुक्रमिक आवेदित किया जाएगा.
 - (ग) चयन प्रक्रिया के बाद, उम्मीदवार को रेलवे द्वारा आयोजित कोटि अन्तिम होगी. कोटि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.
 - (घ) उम्मीदवार संबंधित रेलवे को एकल (अलग-2 आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए नीचे पैरा 1.5 का संदर्भ लें.)
 - (ङ) एक तिप्पामें केवल एक ही आवेदन-पत्र होना चाहिए. उम्मीदवार यह नोट कर लें कि रे.भ.बोर्ड एक सत्र में एक से अधिक समूह के लिए लिखित परीक्षा आयोजित कर सकते हैं.
 - 1.05 उम्मीदवार द्वारा एक ही श्रेणी के लिए एक से अधिक आवेदन जमा करने पर उसे रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें नीचे पैरा 1.4.03 के अनुसार रेलवे परीक्षाओं से भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा.
 - 1.07 उम्मीदवार नोट करें कि आवेदन को प्रस्तुत करने की तिथि से केवल मैट्रिक/उच्च विद्यालय परीक्षा प्रमाण पत्र या समतुल्य प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि ही आरआरबी द्वारा स्वीकार की जायेगी.
 - 1.08 रोजगार सूचना कानिष्ठ विधि अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर (अर्थात् 16.03.2011 से) कार्य मुक्त किए जाने की समाप्ति है, भी भूतपूर्व सैनिक रिक्तियों के तहत आवेदन कर सकते हैं.

- 1.09 ऊपर वर्णित सारणी में भूतपूर्व सैनिकों तथा अशक्त व्यक्तियों के लिए अलग से रिक्रियॉय नहीं है बल्कि ये कुल रिक्रियॉय की संख्या में सम्मिलित हैं.
- 1.10 इस रोजगार समाचार में दशमी गई रिक्रियॉय की संख्या अनंतिम है और रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती है या शून्य भी हो सकती है. प्रशासन को स्वयं के विवेक पर अधिपूरित रिक्रियॉय को रद्द करने का अधिकार है और ऐसा निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा. अधिपूरित रिक्रियॉय को रद्द किए जाने की स्थिति में उम्मीदवारों द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क लौटया नहीं जाएगा.
- 1.11 सभी परीक्षाओं की तिथि और परिणाम रोजगार समाचार और स्थानीय दैनिक पत्र में प्रकाशित किए जाते हैं. इसे रेलवे भर्ती बोर्ड के वेबसाइट पर भी देखा जाता है. लिखित परीक्षा के लिए बुलावा पत्र उम्मीदवारों को डाक द्वारा (डाक प्रमाण पत्र) के अंतर्गत भेजा जाता है. जिन उम्मीदवारों के आवेदन पत्र निरस्त किए जाते हैं, उन्हें भी निरस्ती का कारण सहित डाक द्वारा सूचना दी जाती है. किसी खास पद के लिए योग्य और अयोग्य उम्मीदवारों का ब्यौरा उस पद के लिए लिखित परीक्षा से कम से कम एक सप्ताह पूर्व रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर रखा जाता है. रेलवे बोर्ड में किसी देर/बुलावा पत्रों/निरस्ती पत्रों की गलत सुपुर्दीगी के लिए जिम्मेवार नहीं होगा. आर/आरबी लिखित परीक्षा या किसी अन्य परीक्षा में नहीं चुने गए उम्मीदवारों को सूचना नहीं देता है.
- 1.12 रेलवे बोर्ड द्वारा चयन उम्मीदवार को रेलवे में नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है. रेलवे का कार्य संबंधित क्षेत्रीय रेलवे/उपखंड इकाई के मुख्य कार्मिक अधिकारी को उपयुक्त उम्मीदवारों का नाम संस्तुत करना है, जो नियुक्ति प्रस्ताव का पत्र जारी करते हैं बशर्ते की रिक्रियॉय उपलब्ध हो और उम्मीदवार विक्रिसीय रूप से फिट हो और सभी पात्रता मानक वगैरे को पूरा करता हो.
- 1.13 चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, जहां भी पद के लिए प्रशिक्षण निर्धारित किया गया है.
- 1.14 प्राथमिक नियुक्ति पर परिलब्धियां व-बेड जमा ग्रेड-वे का न्यूनतम वेतन जमा उस समय लागू अन्य भत्ते होगा. प्रशिक्षण अवधि के दौरान केवल लागू बचोपा का भुगतान किया जाएगा. उम्मीदवार को जहां भी आवश्यक हो प्रतिभूति जमा और क्षतिपूर्ति बंध पत्र देना होगा.
- 1.15 जबकि समुदाय पर विचार किए बिना अनारक्षित रिक्रियॉयों के लिए सभी उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा. तथापि विशिष्ट समुदाय (अजा/अजजा/अपिच) के लिए निर्धारित रिक्रियॉयों के विरुद्ध केवल उसी समुदाय/समूह से संबंधित उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा. इसके लिए अजा/अजजा/अपिच उम्मीदवारों को परिशिष्ट-3 (अजा/अजजा उम्मीदवारों के लिए) और परिशिष्ट-4 (अपिच उम्मीदवारों के लिए) पर दिए गए प्रश्न में सक्षम प्राधिकारों से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. इसके अलावा अपिच उम्मीदवारों के मामले में यह विशेष रूप से उल्लिखित होगा चाहिए कि उम्मीदवार भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.93 के का.ता. सं. 36012/22/9-स्था. (एस/सीटी) और दिनांक 09.03.2004 के का.ता.सं. 36033/3/2004-स्था. (रि.सं.) के जरिए इसके बाद के संशोधन में उल्लिखित व्यक्ति/शाखा (श्रीमती सेवर) से संबंधित नहीं हैं. अपिच उम्मीदवार को परिशिष्ट-5 में दिए गए प्रश्न में वीर-क्रीमीसेवर स्थिति का स्व-घोषणापत्र संलग्न करना चाहिए. ये उम्मीदवार जो अपने आवेदन में अजा या अजजा या अपिच दर्शाते हैं और निर्धारित प्रश्न में जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करते हैं तो उन्हें परीक्षा में शामिल होने के लिए पत्र नहीं समझा जायेगा.
- 1.16 अजा/अजजा/अपिच से संबंधित उम्मीदवार जो अपेक्षित शैक्षिक/तकनीकी योग्यताएं पूरी करते हैं, अनारक्षित रिक्रियॉयों के लिए आवेदन कर सकते हैं. तथापि उन्हें अनारक्षित उम्मीदवारों में प्रतिस्पर्धा करनी होगी. अनारक्षित रिक्रियॉयों के लिए आवेदन करने वाले ऐसे अजा/अजजा/अपिच उम्मीदवारों को आयु में छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी.
- 1.17 लिखित परीक्षा या दस्तावे प्रतीक्षा/प्रलेख सत्यापन के लिए बुलावा पत्र पर अजा/अजजा से संबंधित उम्मीदवारों को, जब भी लागू हो, द्वितीय श्रेणी का रेलवे पत्र जारी किया जाएगा. बशर्ते कि वे वैध जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें.
- 1.18 चयनित पुत्रव/अपिच उम्मीदवार जिन्हें अंतिम नियुक्ति किया जाता है जो प्रादे. सेना की रेलवे इंजीनियरी इकाई में सक्षम सेवा करनी पड़े सकती है.
- 1.19 महिला उम्मीदवार भी पात्र हैं. तथापि यह नोट किया जाए कि कुछ श्रेणियों की इयूटी कठिन प्रकृति की है और मुख्यतः से दूर के क्षेत्रों में विषम समय में शिफ्ट में इयूटी करनी पड़ेगी है.
- 1.20 लागू नियमों के अनुसार इस रोजगार सूचना के नियम एवं शर्तों में बाध में कोई परिवर्तन लागू होगी. आर/आरबी आवश्यक होने पर इस धर्ती के नियमों एवं शर्तों में परिवर्तन/संशोधन/जोड़ पर विचार/शामिल करने का अधिकार रखता है.
- 1.21 कोई भी उम्मीदवार एक से अधिक रेलवे बोर्ड के लिए आवेदन करने को स्वतंत्र है लेकिन वह ऐसा स्वयं के जांचिम पर करेगा क्योंकि सभी र.प.बोर्डों की परीक्षा एक ही तिथि को होती/प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से एक से अधिक श्रेणी को साथ-2 परीक्षा हो सकती है.
- 2.0 आयु सीमा : दशमी गई निचली और ऊपरी आयु सीमा का निर्णय 01.07.2010 को की जाएगी ऊपरी आयु सीमा में इस प्रकार छूट होगी. बशर्ते की अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए.
- 2.01 अजा/अजजा उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष.
- 2.02 अपिच उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष.
- 2.03 भूतपूर्व सैनिक के लिए सेना में की गई सेवा की सीमा तक जया 3 वर्ष बशर्ते कि वे सत्यापन के बाद 6 महीने से अधिक की सेवा की हो. अग्रिम श्रेणियों के पदों अर्थात् ट्रेकिंग अग्रिम और बाणिज्यिक अग्रिम के लिए आवेदन करने वाले भूतपूर्व सैनिक के लिए आयु में अन्य सभी छूट सहित ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी.
- 2.04 01.01.1980 से 31.12.1989 तक जन्म और कश्मीर प्रमाण में सामान्यतः निवास करने वाले के लिए 5 वर्ष.
- 2.05 शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष (अजा/अजजा हेतु 15 वर्ष और अपिच हेतु 13 वर्ष).
- 2.06 सेवारत समूह 'ग' और समूह 'घ' रेलवे स्टाफ और अनिर्दिष्ट मजदूर प्रतिस्थापित के लिए ऊपरी आयु सीमा में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष, अजा/अजजा उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष और अपिच उम्मीदवारों के लिए 43 वर्ष तक की छूट होगी. बशर्ते कि उन्होंने कम से कम 3 वर्ष की सेवा (लगातार या खंडित) पूरी की हो. रेलवे संगठन के अर्द्ध प्रशासनिक कार्यालयों/अर्द्ध रेलवे कैंटीन, सहकारी सोसायटी और संस्थानों में काम करने वालों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट उनके द्वारा की गई सेवा अवधि तक होगी, जो अधिकतर 5 वर्ष होगी.
- 2.07 विधवाओं, तत्कालशुदा महिलाओं और पति से न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाओं के मामले में ऊपरी आयु सीमा में सामान्य श्रेणी के लिए 35 वर्ष तक, अपिच के लिए 38 वर्ष तक और अजा/अजजा उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष तक की छूट होगी.
- 2.08 अनारक्षित रिक्रियॉयों के लिए आवेदन करने वाले अजा/अजजा/अपिच उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट नहीं होगी.
- 2.09 विभिन्न आयु वर्ग के लिए उम्मीदवारों की जन्म तिथि नीचे दी गई तिथियों के बीच होनी चाहिए (सोनों तिथि शामिल).

क्र.सं.	आयु वर्ग	जन्म तिथि की ऊपरी सीमा	अपिच	अजा/अजजा	सभी के लिए निचली जन्म तिथि सीमा	अप्युक्ति
1.	18-53	02.07.1977	02.07.1974	02.07.1972	01.07.1992	पैरा 2.03 से 2.08 में सूचीबद्ध श्रेणियों के लिए दिखाई गई आयु छूट लागू होगी.

- 3.0 परीक्षा शुल्क
- 3.01 अजा/अजजा/भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक विकलांग/महिलाओं/अल्पसंख्यकों/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, जिनकी वार्षिक परिवारिक आयु रु. 50,000 से अधिक नहीं है, कोई परीक्षा शुल्क नहीं है.
- 3.02 अनारक्षित पुत्रव/अपिच पुत्रव उम्मीदवारों के लिए प्रलेख आवेदन पत्र के लिए 60रु. का परीक्षा शुल्क निर्धारित है. उम्मीदवारों को ऊपर पैरा 1.05 में किए गए उल्लेख के अनुसार प्रलेख समूह के लिए परीक्षा शुल्क के तौर पर अलग-2 आईपीओ/डीडी के साथ अलग-अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए.
- 3.03 आवेदन-शुल्क अनुप्रतिदेय है. इस का भुगतान रु. मात्र का भुगतान रु. मात्र के लिए वैध रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, जो कि किसी भी राष्ट्रीय स्तर के बैंक की मुख्य शाखा में देय हो. या नीचे पैरा 1.5 में वर्णित संबंधित रेलवे के सहायक सचिव या सहाय सचिव या अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड के पत्र में जारी रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में किया जा सकता है. बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर उस स्थान पर देय होना चाहिए जहां पर रेलवे भर्ती बोर्ड स्थित है. भारतीय पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट इस रोजगार सूचना के जारी होने की तिथि से पूर्व या आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त न किया गया हो.
- 3.04 उम्मीदवारों को बैंक ड्राफ्ट के पीछे/भारतीय पोस्टल आर्डर में सामने की तरफ उपलब्ध कराए गए स्थान में रोजगार सूचना सं. आवेदित पद के नाम, पद की कोटि संख्या/और उनके नाम तथा डाक पते का उल्लेख करना चाहिए.
- 3.05 बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर के अलावा किसी अन्य रूप में परीक्षा शुल्क के भुगतान को स्वीकार नहीं किया जाएगा.
- 3.06 परीक्षा शुल्क के तौर पर प्रस्तुत बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर का निरूपण आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर (सूचना शीट की पद सं. 5) भी करना चाहिए.
- 3.07 वित्त आवेदन-पत्र के साथ फीस के तौर पर अपेक्षित राशि का बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर संलग्न नहीं होगा, उसे सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा.
- 3.08 अल्पसंख्यकों से आगत मुस्लिमों, ईसाईयों, सिखों, बौद्धों और जैरोटिस्टस (पारसी) से है. परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने के लिए अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को परिशिष्ट 08 में किए गए उल्लेख के अनुसार "स्वयं-घोषणा" आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करनी चाहिए. दस्तावेज सत्यापन के समय ऐसे उम्मीदवारों को, जो कि परीक्षा शुल्क में छूट का दावा कर रहे हैं, "अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा शपथपत्र" प्रस्तुत करना होता कि वह ऊपर वर्णित किसी एक समुदाय से संबंधित हैं. यदि दस्तावेज सत्यापन के दौरान शपथपत्र नहीं प्रस्तुत किया गया तो उसकी उम्मीदवारी नामरूप रद्द दी जाएगी.
- 3.09 आर्थिक रूप से पिछड़ी श्रेणियों का अर्थ है वे उम्मीदवार जिनकी वार्षिक परिवारिक आयु रु. 50,000 से कम है. उन्हें परिशिष्ट-7 में दर्शाए अनुसार निर्धारित प्रश्न में आवेदन करते समय प्रस्तुत करना होगा. वह प्रमाणपत्र जारीकर्ता प्राधिकारों के लेटर हेड में, जैसा कि परिशिष्ट-7 में उल्लेख है, होना चाहिए.
- 4.0 कैंडे आवेदन करें :
- 4.01 परिशिष्ट-1 और 2 के अनुसार आवेदन प्रश्न उम्मीदवार द्वारा नीला या काला बॉल पेन (पेंसिल फाउन्ड पेन या जैल पेन में नहीं) से अपने हाथ से भर जाना चाहिए केवल अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं अर्थात् 1,2,3 का प्रयोग करें. रोजगार समाचार में दिए गए अनुदेशों का कड़ाई से पालन करते हुए आवेदन पत्र सिर्फ अंग्रेजी या हिन्दी में भर जाना चाहिए. बड़े अक्षरों/अलग-अलग अक्षरों में हस्ताक्षरित आवेदन को अग्रान्य कर दिया जाएगा.
- 4.02 उम्मीदवार का नाम, पिन कोड सहित पता, जन्म तिथि, पिता का नाम और नजदीकी रेलवे स्टेशन सुपारद्व अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, बाहे उम्मीदवार आवेदन पत्र हिन्दी में भरें.
- 4.03 फोटो : बिना टोपी और चश्मे के उम्मीदवार का साफ पासपोर्ट आकार का हाल का (आवेदन की तिथि से तीन माह से अधिक पूर्व का नहीं) रंगीन फोटो आवेदन पत्र पर दिए गए स्थान में चिपकाया जाना चाहिए. फोटो की जॉरिक्स प्रति की अनुमति नहीं है, उम्मीदवार को फोटो के नीचे दिए गए बॉक्स में हस्ताक्षर करना चाहिए. उम्मीदवार का नाम और श्रेणी संख्या फोटो के पीछे लिखकर एक इसी तरह का अतिरिक्त पासपोर्ट आकार का फोटो आवेदन के साथ संलग्न करना चाहिए. उम्मीदवार यह नोट करें कि आर/आरबी आवेदन पर पुराना/अस्पष्ट फोटो चिपकाने पर या आवेदन पर चिपकाए गए फोटो और उम्मीदवार की वास्तविक तूरत के बीच पर्याप्त अंतर होने पर इसे किसी भी कारण में अस्वीकार कर सकता है.
- 4.04 आवेदन पत्र के बंद श. 9 में उम्मीदवार को नाक पर तिल, लताट पर बायीं ओर रुटे का निशान या बायें हाथ के मध्य अंगुली में अर्द्ध जैसी अपने शरीर पर स्पष्ट दुग्ध फहान का चिह्न दर्शाना चाहिए. स्पष्ट पश्चान चिह्न का उल्लेख न करने पर उम्मीदवार के आवेदन पत्र को निरस्त किया जा सकता है.
- 4.05 उम्मीदवार को सूचना शीट के पद सं. 13 पर पराग्राफ को रनिंग लिखावट में अपने हाथ (बड़े/बोछे में स्थान वाले अक्षरों में नहीं) से उतराना चाहिए, अन्यथा उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा.
- 4.06 उम्मीदवार आवेदन पत्र और सूचना शीट में निर्धारित स्थान पर अपने बायें हाथ के अंगुठे का निशान स्पष्ट और पुरा होना चाहिए. अंगुठे के निशान की रेलगाए स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए.
- 4.07 अस्पष्ट, अपूर्ण, बड़े अक्षरों में हस्ताक्षरित, निर्धारित प्रश्न में नहीं, उम्मीदवार के फोटो के बिना भारतीय पोस्टल आर्डर/डीडी के बिना या रोजगार सूचना के जारी होने के पहले या अंतिम तिथि के बाद छरीटे गए आईपीओ/डीडी वाले आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा.
- 4.08 आवेदन वाले लिफाके पर स्पष्ट रूप से "..... पर रोजगार सूचना सं. 02/2010 और समुदाय (अजा/अजजा/अपिच/विकलांग व्यक्ति/भूतपूर्व)" लिखा होना चाहिए. यदि आवेदन वाले लिफाके में ऊपर पद और श्रेणी संख्या नहीं लिखा जाता है, तो उस विचार नहीं किया जाएगा.
- 5.0 संक्षेपक :
- प्रलेख उम्मीदवार के लिए लागू निम्नलिखित संलग्नकों को दिए गए क्रम में आवेदन पत्र के साथ अच्छी तरह संलग्न किया जाना चाहिए.
- 5.01 निर्धारित प्रश्न में आवेदन पत्र (जैसा कि परिशिष्ट-1 में दिया गया है).
- 5.02 निर्धारित प्रश्न में सूचना शीट (जैसा कि परिशिष्ट-2 में दिया गया है).
- 5.03 रोजगार सूचना में निर्धारित राशि का वैध भारतीय पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट.
- 5.04 आवेदन पत्र के साथ अच्छी तरह संलग्न सामान पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो की एक प्रति (प्रश्न पर चिपकाई गई को छोड़कर).
- 5.05 जन्म तिथि दर्शाने वाला वैध/उच्च विद्यालय परीक्षा प्रमाण पत्र या समतुल्य प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति
- 5.06 आवेदित पद के लिए निर्धारित शैक्षिक और/या व्यावसायिक योग्यता की स्व-सत्यापित प्रति.
- 5.07 अजा/अजजा/अपिच उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारों से जाति प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित फोटो प्रति (जैसा कि परिशिष्ट-3 और 4 में दिया गया है). परिशिष्ट-5 में दिए गए प्रश्न में वीर-क्रीमीसेवर स्थिति के संबंध में अपिच उम्मीदवार से स्व-घोषणा.
- 5.08 अशक्त व्यक्तियों द्वारा निर्धारित प्रश्न (जैसा कि परिशिष्ट-9 में दिया गया है) में अशक्तता प्रमाण पत्र.
- 5.09 दृष्टि विकलांग उम्मीदवार/जिनकी निखिले की गति प्रमत्सहित पक्षाघात के कारण प्रभावित है, परीक्षा में लिखने के लिए सहायक संबंधी घोषणा-पत्र (जैसा कि परिशिष्ट-10 में दिया गया है)
- 5.10 भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार को लिखित प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करना चाहिए. उन्हें अपनी शैक्षिक/तकनीकी योग्यताओं की तुल्यता के लिए सक्षम प्राधिकारों द्वारा जारी उपयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए.
- 5.11 यदि पहले से ही रेलवे या अन्य सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत हैं, तो सक्षम प्राधिकारों से अनापत्ति प्रमाण पत्र.
- 5.12 किसी अन्य तरह की आयु में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवार के मामले में अपेक्षित प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित फोटो प्रति.
- 5.13 परीक्षा शुल्क में छूट के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए परिशिष्ट-7 में दर्शाए अनुसार सक्षम प्राधिकारों के लेटर हेड पर निर्धारित प्रश्न में सक्षम प्रमाण-पत्र.
- 5.14 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क में छूट के लिए "अल्पसंख्यक स्वयं घोषणा" (जैसा कि परिशिष्ट-8 में दिया गया है)
- 6.0 आवेदन आवेदन
- उम्मीदवारों से अनुरोध है कि रेलवे बोर्ड को आवेदन भेजने से पहले सभी अनुदेशों को अच्छी तरह पढ़ें. अन्यथा उनके आवेदन पत्र को निरस्त/विकृत के एक या अधिक कारणों से निरस्त किया जा सकता है. यदि आवेदन निरस्त किया जाता है, तो निरस्त करने के कारण के संबंध में उम्मीदवार को डाक द्वारा सूचित किया जाएगा.
- 6.01 रोजगार अधिसूचना के खुलने की तिथि से पहले या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन.
- 6.02 आवेदन-पत्र में कौपी नहीं किए गए (या) बड़े अक्षरों में कौपी किए गए अनुच्छेद.
- 6.03 हस्ताक्षर के लिए (या) बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर वाले आवेदन.
- 6.04 आवेदन-पत्र में और सूचना शीट पर बाएं हाथ के अंगुठे का निशान नहीं होने पर/अस्पष्ट/दुष्प्राप्त का होने पर.

- 6.05 अपेक्षित प्रमाण-पत्रों को प्रतियां संलग्न न किया जाना [(i) जन्म तिथि प्रमाण-पत्र जैसे कि मैट्रिकुलेशन/हाई स्कूल परीक्षा या समकक्ष प्रमाण पत्र, (ii) शैक्षणिक और/या व्यावसायिक प्रमाण-पत्र, (iii) अजा/अजना/अपिव के लिए समुदाय प्रमाण-पत्र, (iv) भूतपूर्व सैनिकों के लिए डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र, (v) अशक्त व्यक्तियों के लिए अशक्तता प्रमाण पत्र, (vi) परीक्षा शुल्क में छूट के लिए आर्थिक रूप से कमजोर अभियंताओं के उम्मीदवारों के लिए आय प्रमाण-पत्र, (vii) परीक्षा शुल्क में छूट के लिए अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए "स्वयं-बोधना" आदि]
- 6.06 निर्धारित प्राश्य में नहीं होने वाले या क्रीमी लेयर के स्वधोषणा के विना 'अपिव' प्रमाण-पत्र (अपिव हेतु छूट पर विचार करने के लिए).
- 6.07 स्व-प्रमाणित दृष्टि प्रमाण पत्र संलग्न न होने पर (या) अपूर्ण होने पर (एएलपी/एएसएफ/मोटरवेन पदों के लिए) यह पत्र इस अधिसूचना की कोटियों के लिए लागू नहीं है.
- 6.08 शुल्क-पोस्टल ऑर्डर/डीडी के संलग्न नहीं होने या कम शुल्क संलग्न करने या अवैध आईपीओ/डीडी अर्थात् रोजगार अधिसूचना की तिथि जारी करने से पहले या उसके बाद जारी.
- 6.09 पहचान चिह्न वाले कोसल के भर नहीं होने पर.
- 6.10 आवेदन की तिथि को पद हेतु निर्धारित अर्हता नहीं रखते हैं.
- 6.11 अधिक आयु या कम आयु डीओबी भर नहीं होने या गलत भरने होने पर.
- 6.12 समान रेभवों में समान पद हेतु जमा किए गए दौंगने या बहु आवेदन.
- 6.13 फोटो के विना (या) टोपी, धूप चश्मा पहने, विलुपित पहचाने नहीं जाने वाले या स्कैन किए हुए फोटो या छायाप्रति वाले आवेदन.
- 6.14 एक लिफाफा में एक से अधिक आवेदन.
- 6.15 उम्मीदवार का नाम रोकें गे व्यक्तियों की सूची में लिखा होने पर.
- 6.16 अपूर्ण/अपठनीय आवेदन.
- 6.17 निर्धारित प्राश्य में नहीं होने वाले आवेदन.
- 6.18 नहीं भरें गए तथा गलत तरीके से भरें गए कोटि/पद.
- 6.19 अन्य रे.ब.बोर्ड के पते पर आवेदन.
- 6.20 अंग्रेजी/हिंदी के अतिरिक्त किसी भाषा में भरें गए आवेदन.
- 6.21 अन्य कारण जो कि रेभवों की राय में अवैध हों.

7.0 अर्थ प्रक्रिया
 7.01 चयन दो चरण की लिखित परीक्षा के आधार पर पूर्णतः मेधा के अनुसार किया जाएगा. इसके अलावा कनि. लेखा सहायक सह टंकण/वरि. लिपिक सह टंकण के पद के लिए अर्हक कौशल परीक्षा भी आयोजित की जायेगी. लघुसूचीकृत उम्मीदवारों को मेधा, रिक्तियों की उपलब्धता और आरक्षण नियमों के अनुसार मूल प्रलेखों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा.

7.02 लिखित परीक्षा में निगेटिव अंक होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जायेंगे.
 7.03 लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम सामान्य रूप से पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता मानक्यों के अनुरूप होंगे. प्रश्न बहु उत्तर सहित वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और इसमें सामान्य ज्ञान, अंक गणित, सामान्य बुद्धिमानता और रीजनिंग तथा सामान्य हिंदी/सामान्य अंग्रेजी भाषा से संबंधित होंगे. प्रश्न पत्र अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और नीचे पैरा 15 में किए गए उल्लेख अनुसार स्थानीय भाषा में होगा. परीक्षा की अवधि 90 मिनट होगी जिसमें लगभग 100 से 120 प्रश्न होंगे.
 7.04 रेलवे भर्ती बोर्ड स्वयं को विवेक पर जैसा कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा उचित समझा जायेगा सभी या सीमित संख्या में उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त लिखित अथवा दस्ता परीक्षा का आयोजन कर सकता है.
 7.05 लिखित परीक्षा और दस्ता परीक्षा की तिथि, समय और स्थान रेभवों द्वारा तय किया जाएगा और इसकी सूचना पात्र उम्मीदवारों को दी जाएगी. परीक्षा/दस्ता परीक्षा को स्थगित करने और केन्द्र/स्थान के परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा.
 7.06 परीक्षा का चरण प्रत्येक पद के सामने दिया गया है. परीक्षा में उम्मीदवारों के निष्पादन के आधार पर रिक्तियों की संख्या के बराबर उम्मीदवारों को प्रलेख सत्यापन के लिए बुलाया जायेगा. इसके अलावा 30% अतिरिक्त उम्मीदवारों को भी तैयार रहने वाले उम्मीदवारों के रूप में बुलाया जायेगा और उन्हें केवल पैराल में शामिल करने के लिए विचार किया जायेगा. यदि मुख्य सूची से पैराल में कमी होती है. प्रलेख सत्यापन के दौरान उम्मीदवारों को अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा और सत्यापन की तिथि को अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवारों को उम्मीदवारी समाप्त समझी जायेगी.

7.07 चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके द्वारा रेलवे प्रशासन द्वारा संचालित अपेक्षित चिकित्सा स्वस्थता जांच उत्तीर्ण करने, शैक्षणिक और समुदाय प्रमाण पत्र के अंतिम सत्यापन और उम्मीदवार के पूर्ववृत्त/वरिष्ठ के सत्यापन के अध्याधीन होगी.
 8.0 चिकित्सा मानक

नियुक्ति हेतु अनुशंसित उम्मीदवारों को रेलवे प्रशासन द्वारा संचालित अपेक्षित चिकित्सा स्वस्थता परीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तीर्ण करनी होगी कि उम्मीदवार पद से संबंधित कार्यों को करने के लिए चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ है. दृष्टि तीक्ष्णता मानक रेलवे स्टाफ को मेडिकल फिटनेस का पहलवर्षी मानक है. विभिन्न कोटियों के चिकित्सा मानक नीचे दिए गए हैं:
 क. ए-2 : सभी तरीके से शारीरिक रूप से स्वस्थ. दृष्टि मानक दूर दृष्टि : 6/9, 6/9 बिना चश्मे के निकट दृष्टि : स्लेन 0.6, 0.6 बिना चश्मे के रंग पहचान दृष्टि, बायनोक्स्यूलर दृष्टि, दृष्टि क्षेत्र तथा रात्रि दृष्टि मौजूद होनी चाहिए.
 ख. सी-1 : सभी तरीके से शारीरिक रूप से स्वस्थ. दृष्टि मानक दूर दृष्टि : 6/12, 6/18 चश्मे सहित या चश्मे के बिना. निकट दृष्टि : पढ़ना या ध्यानपूर्ण कार्य करते समय चश्मे सहित या चश्मे के बिना स्लेन 0.6, 0.6.

टिप्पणियाँ :
 (क) उपर्युक्त चिकित्सा मानक (मानक) सांकेतिक हैं और अंतिम पदों हैं तथा ये उम्मीदवारों पर सामान्यतः लागू होते हैं.
 (ख) भूतपूर्व सैनिकों के लिए भिन्न मानक लागू होते हैं.

9.0 भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार :
 समुदाय के निम्नलिखित रोजगार सूचना में भूतपूर्व सैनिक के लिए कुछ रिक्तियाँ आरक्षित हैं. तथापि भूतपूर्व सैनिक अन्य पदों, जो उनके लिए निर्धारित नहीं हैं, के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें आयु में छूट और शुल्क में छूट दी जाएगी जैसा कि क्रमशः पैरा 2.03 और 3.01 में दिखाया गया है.

- 9.01 भूतपूर्व सैनिक शब्द का अर्थ है ऐसे उम्मीदवार जो भारतीय संघ के नियमित सेना, नौ-सेना या वायु सेना में किसी भी रैंक (सड़क या गैर-सड़क के रूप में) में सेवा कर चुके हों किंतु, रसा सुरक्षा शिविर, सामान्य रिजर्व इंजीनियरी बल, लोक सहायक सेना तथा पैरा मिलिट्री बलों में सेवा कर चुके उम्मीदवार के रूप में शामिल नहीं हों तथा
- 9.02 अपने पेंशन प्राप्त करने के बाद उस सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हों, या
- 9.03 मिलिट्री सेवा में आरोपित चिकित्सा आधार पर उस सेवा से या उनके नियंत्रण से अलग परिस्थितियों में सेवानिवृत्त किया जा चुका हो तथा मिलिट्री सेवा या विकलांगता का अन्य पेंशन मिल चुकी हो, या
- 9.04 उन स्थानों में कमी के रूप में उनके स्वयं के अनुरोध के अतिरिक्त अन्य तरीके से सेवानिवृत्त किया जा चुका हो, या
- 9.05 उनके स्वयं के अनुरोध के अतिरिक्त नियोजन की विशिष्ट अवधि पूरा करने के बाद या कदाचित् या दस्ता न होने पर बर्खास्तगी या सेवानिवृत्त द्वारा उस सेवा से सेवानिवृत्त किया गया हो तथा ग्रेजुटी दी गई, हो तथा जिसमें निम्नांकित कोटियों के प्राधिकृत सेना के कार्मिक शामिल हों : (क) तत्तत सम्मिलित सेवा के पेंशन धारक, (ख) मिलिट्री सेवा में दी गई विकलांगता पेंशन तथा (ग) शीर्ष पुरस्कार विजेता.
- 9.06 सशस्त्र बलों में 15 वर्ष की सक्षिप्त सेवा वाले मैट्रिक उत्तीर्ण भूतपूर्व सैनिकों पर उक्त पदों पर आवेदन करने के लिए पात्र के रूप में विचार किया जाएगा. जिसके लिए न्यूनतम अर्हता विश्वविद्यालय डिग्री है, बशर्तें मिलिट्री प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाए. **स्वयं-प्रमाणित** : सेवा से सेवानिवृत्त संघ के सशस्त्र बलों में सेवारत कार्मिक भूतपूर्व सैनिक कोटि के अधीन होंगे, उन्हें नियोजन की विशिष्ट शर्तों के पूरा होने तथा भूतपूर्व सैनिकों हेतु उपलब्ध सभी परिणत स्वयं प्राप्त करने से पहले एक वर्ष के पुनर्नियोजन हेतु आवेदन करने की अनुमति होगी, किंतु उन्हें संघ के सशस्त्र बलों में नियोजन की विशिष्ट शर्तों के पूरा करने तक नहीं छोड़ने की अनुमति नहीं होगी. ग्रुप सी/डी में केंद्र सरकार के अधीन पहले से रोजगार प्राप्त कर चुके भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के अधीन ग्रुप सी/डी में उच्चतर ग्रेड या संगर्ग में अन्य रोजगार प्राप्त करने हेतु भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में छूट की अनुमति होगी. तथापि, ऐसे उम्मीदवारों पर केंद्र सरकार की नीकियों में भूतपूर्व सैनिक कोटि के अधीन विचार किया जाएगा.

9.07 भूतपूर्व सैनिक से अनुरोध है कि वे समुदाय सहित सभी अपेक्षित विवरण का उल्लेख आवेदन पत्र में करें और निर्धारित पत्र में समुदाय प्रमाण पत्र, जैसा कि अपेक्षित है, सहित सभी प्रलेखीय प्रमाण संलग्न करें.

10.0 अपंग/विकलांग अर्थार्थी (डिब्ल्यूडी)
 10.1 अशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों का उल्लेख प्रत्येक पद के समक्ष किया गया है कुछ पदों के संबंध में निश्चित रिक्तियाँ विकलांग अर्थार्थी हेतु सुरक्षित हैं. इसके अतिरिक्त वे सामान्य अर्थार्थियों के समान अपने संबंधित समुदाय जैसे : अनापित/अजा/अजना/अपिव में भी आवेदन कर सकते हैं. वे उन पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जो विकलांग अर्थार्थियों के लिए उपयुक्त माना गया हो भले ही उनके लिए कोई अलग से रिक्तियाँ न की गई हों.

10.2 छूट : (1) अपंग/विकलांग अर्थार्थियों से परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा मले ही वह विकलांग अर्थार्थियों के लिए उपयुक्त पद के रूप में उपस्थित या चिन्हित किया गया हो. (2) ऊपरी जाए सीमा में 10 वर्ष की छूट-यह छूट प्रदान की जाएगी चाहे पद आरक्षित हो या नहीं बशर्तें पद को विकलांग अर्थार्थियों के लिए उपयुक्त पद के लिए उपयुक्त पद के रूप में चिन्हित किया गया हो. इसके अतिरिक्त अपिव एवं अजा/अजना उम्मीदवार क्रमशः तीन एवं पांच वर्ष की सामान्य छूट के लिए योग्य हैं.
 10.3 अपंगता की परिभाषा : भर्ती के उद्देश्य के अंतर्गत विकलांगता की कोटियों की परिभाषा निम्नवत है :
 (क) अंधापन : अंधापन वह दशा है जहाँ पर मनुष्य किसी निम्नवत् परिस्थिति का शिकार होता है (1) पूर्ण दृष्टिहीनता या (2) अपेक्षाकृत बेहतर क्षमता वाली आंख की लेंस सहित दृष्टि क्षमता 6/60 या 20/200 (स्लेन) से अधिक नहीं होनी चाहिए (3) दृष्टिक्षेत्र से विरता 20 अंश का कोण बनाती हुई या और ह्रास (ख) कण दृष्टि : कम दृष्टि वाले व्यक्तियों से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिनकी चिकित्सा या मानक अपवर्तन सुधार के बाद भी दृष्टि प्रक्रिया क्षीण हो गई है. लेकिन जो उपयुक्त सहायक उपकरण की मदद से कार्य के नियोजन पर कार्यान्वयन में दृष्टि का इस्तेमाल कर सकता है, (ग) श्रवण क्षीणता : श्रवण क्षीणता का अर्थ है कि मनुष्य की बात सुनने की क्षमता में 6 डिबाइल या अधिक की क्षति होना, (घ) गति अपंगता : गति क्षीणता संबंधी अपंगता का तात्पर्य है हड्डियों की विकलांगता जोड़ या जोड़ों या नसों/शिरों की विकलांगता जो शरीर के भाग ह्रास, पैर को हिलाने में अवरोध उत्पन्न करती है. जो एक प्रकार का पक्षाघात होता है. (ङ) सैर/ब्रह्म पक्षाघात : सैर/ब्रह्म पक्षाघात का अर्थ है एक व्यक्ति की प्रगतिशीलता का ह्रास होना जो अस्तित्वित वाहन चताने के फलस्वरूप आघात दिमागी चोट या बचपन की दिमागी चोट के कारण घटित होती है, (च) सभी अर्थ अर्थ अर्थार्थी गति अपंगता या पक्षाघात कोटि के अंतर्गत माने जाएंगे.

10.4 आरक्षण हेतु अपंगता की श्रेणी/प्रतिशत : केवल ऐसे अर्थार्थी सेवा में आरक्षण के पात्र होंगे जो विकलांगता में 40 प्रतिशत से कम न हो. अर्थार्थी जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है उसे (परिशिष्ट-9 के अनुसार) उपयुक्त अधिकारी द्वारा निर्गत अपंगता प्रमाण पत्र लगाना होगा.

10.5 अपंगता प्रमाण जारी करने वाले उपयुक्त अधिकारी : विकलांगता प्रमाण पत्र केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड के उपयुक्त अधिकारियों द्वारा दिया जाएगा. केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड के कम से कम तीन सदस्य होंगे जिनमें से एक गतिक्षीणता/पक्षाघात/श्रवण/दृष्टि, उपांगतानुसार विशेषज्ञ होंगे.

10.6 दृष्टि अपंगता वाले अर्थार्थी : वे अर्थार्थी जिनकी दृष्टि की क्षमता पक्षाघात के कारण क्षीण हो चुकी है वे स्वयं के लिए लिखाई हेतु सहायक का प्रयोग कर सकते हैं. लिखाई सहायक हेतु अर्थार्थी को पहले भी बोर्ड को सूचित करना होगा. परिशिष्ट-10 के अनुसार लिखाई सहायक का उपयोग निम्न दशा में होगा. (क) अर्थार्थी को अपना लिखाई सहायक स्वयं के खर्च पर परीक्षा के दौरान लेना होगा. लिखाई सहायक को अपंग अर्थार्थी के साथ अलग से प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा. प्रवेश पत्र में लिखाई सहायक का विवरण, फोटो हस्ताक्षर सहित लगाया जाएगा. (ख) लिखाई सहायक की शैक्षिक योग्यता पर जिसके लिए भर्ती की जा रही है, से एक स्तर नीचे की होनी चाहिए. लिखाई सहायक की योग्यता का विषय अर्थार्थी की योग्यता से निम्न होगा चाहिए. लिखाई सहायक न उक्त (ख) में वर्णित शैक्षिक योग्यता में 60 प्रतिशत से अधिक कम न अर्जित किए हों; (ग) अर्थार्थी एवं लिखाई सहायक को उचित श्रेण्य पत्र (परिशिष्ट-10 देना होगा) कि लिखाई सहायक सभी क्षमता मानक को उपरोक्त सभी अनुसार पूरा करता है. यदि बाद में सात होता है कि लिखाई सहायक न सक्षम मानक को पूरा नहीं किया या कुछ क्षमता है तो अर्थार्थी का अर्थार्थन, परीक्षण निरस्त कर दिया जाएगा. लिखाई सहायक की अपंगता का उल्लेख, उसे लेने वाला अर्थार्थी होगा. दृष्टिहीन अर्थार्थी एवं पक्षाघात के कारण जिन अर्थार्थी की लिखाई क्षमता क्षीण हो गई है उन्हें परिशिष्ट-10 के अनुसार श्रेण्य पत्र अपने आवेदन के साथ लगाया होगा.
 10.7 सभी एक नेत्र वाले एवं दृष्टि विकलांग अर्थार्थी जिनकी विकलांगता का प्रतिशत 40% से कम है उन्हें विकलांगता कोटि में सम्मिलित नहीं किया जाएगा एवं उन्हें लिखाई सहायक नियुक्ति की अनुमति नहीं दी जाएगी.
 10.8 सभी सफल अर्थार्थियों को अर्थार्थी से पहले रेलवे चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराया होगा और केवल जो अर्थार्थी रेलवे चिकित्सा मैन्युअल एवं अन्य मौजूद व्यवस्थाओं के मानक अनुरूप सफल होंगे वही नियुक्ति हेतु पात्र होंगे, चयन मात्र ही रेलवे में नियुक्ति का संकेत नहीं है.

11. **सेवारत कर्मचारी :** किसी भी तत्काली विभाग या रेलवे सहित सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में सेवारत उम्मीदवारों को उचित माध्यम से आवेदन करना चाहिए या देरी से बचने के लिए नियोजन से जारी अनापित प्रमाण-पत्र के साथ सीधे

12. **ऑन-लाइन पंजीकरण :**
 12.1 उम्मीदवार के पास अपने आवेदन-पत्र ऑन लाइन भरने अर्थात् ऑन लाइन पंजीकरण का विकल्प होगा. इसके लिए उन्हें संबंधित रेभवों की वेबसाइट पर जाना होगा तथा वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन प्रपत्र तथा सूचना शीट को भरना होगा. वर्तमान में ऑन लाइन आवेदन पत्र पंजीकरण की सुविधा केवल रेभवों बंगलोर, चेन्नै, मुंबई, पटना, रांची और तिरुवनंतपुरम में है. उम्मीदवारों को भरें हुए आवेदन प्रपत्र तथा सूचना शीट का शिफ्ट-आउट ले लेना चाहिए. अपना पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो/पाठ्य चिपकार, अपने हस्ताक्षर करें तथा तंगत स्थान पर चार हाथ के अंगूठे का निशान लगाएं, सूचना शीट की मद से. 13 में दिये गए पैरा की कॉपी करें तथा इसे संबंधित रेभवों को प्रेषित करें. साथ में परीक्षा शुल्क (जहाँ कहीं लागू है), जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक और/या व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र, अजा/अजना/अपिव प्रमाण पत्र, परिशिष्ट 5 में दी गई अपिव की स्वयं-बोधना, भूतपूर्व सैनिक के मामले में डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, अशक्त व्यक्तियों के मामले में अशक्तता प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक उम्मीदवारों द्वारा अल्पसंख्यक स्वयं बोधना तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आय प्रमाण पत्र. यदि ऊपर वर्णित ऑन-लाइन आवेदन-पत्र की प्रति, आवश्यक परिशिष्टों के साथ अन्तिम तिथि तक संबंधित रेभवों में प्राप्त नहीं हुई तो ऑन लाइन पंजीकरण अवैध हो जाएगा.

13. **विशेष :**
 13.1 सभी अनुलग्नक सहित पूरी तौरांतर सूचना रे.भ. बोर्डों के वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. उम्मीदवार अनुलग्नक के साथ आवेदन पत्र और सूचना शीटों को प्रिंट कर सकते हैं और आवेदन भेजने के लिए उपयोग कर सकते हैं.
 13.2 सभी अनुलग्नक केवल तभी तो अंग्रेजी में होना चाहिए, जहाँ प्रमाण पत्र अंग्रेजी/हिन्दी में नहीं हैं, स्व-प्रमाणित अर्हति रूप (हिन्दी/अंग्रेजी में) संलग्न किया जाना चाहिए. अपेक्षित अनुलग्नक के विना आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा. अलग से भेजा गया उपर्युक्त में से किसी अनुलग्नक पर विचार नहीं किया जाएगा.
 13.3 आर/आरबी देश में कहीं भी लिखित/ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कर सकता है. रेभवों द्वारा आवंटित केन्द्र अंतिम और बाध्यकारी होगा.

13.4 रेभवो किसी भी चरण पर अतिरिक्त लिखित/ऑनलाइन परीक्षा/टंकण दस्ता परीक्षा/साक्षात्कार/प्रवेश सत्यापन करने का अधिकार रखता है। रेभवो बिना कोई कारण बताए इस रोजगार सूचना में अधिसूचित किसी श्रेणी के लिए किसी भी चरण पर किसी भी प्रक्रिया को आंशिक रूप से या पूरी तरह निरस्त करने का भी अधिकार रखता है।

13.5 पात्रता, आवेदन पत्रों की स्वीकृति या अस्वीकृति, निःशुल्क रेलवे पास जारी करने, गलत सूचना के लिए दंड, चयन की पद्धति, लिखित/ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार, दस्ता/अभिरुचि परीक्षा का आयोजन, परीक्षा केंद्र का आवंटन, चयन, चयनित उम्मीदवारों को पत्रों को आवंटन आदि से संबंधित सभी मामलों में रेभवो का निर्णय अंतिम और अपील योग्य पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा किसी पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा।

13.6 अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को जरूरत पड़ने पर भारतीय रेलवे में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।

13.7 अनजाने में हुई गलती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा।

13.8 इस केंद्रीयकृत रोजगार सूचना के कारण उभरा कोई भी विवाद संबंधित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में होगा, जिसके तहत रेलवे भर्ती बोर्ड स्थित है।

13.9 व्याख्या के संबंध में कोई विवाद होने पर अंग्रेजी रूपान्तर को अंतिम माना जाएगा।

14. **तथ्यों को छिपाया जाना/छद्मरूप/चेतावनी**

14.1 कोई भी उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर प्रतिस्पर्धा या किसी प्रतिस्पर्धी सहायता देने का प्रयास नहीं करेगा। अन्यथा उम्मीदवारों को सभी रेभवो परीक्षाओं में शामिल होने के लिए जीवन भर के लिए रोक दिया जायेगा और रेलवे में किसी भी नियुक्ति से रोक दिया जायेगा। इसके अलावा उम्मीदवारों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

14.2 तथ्यों के किसी वस्तुपरक दमन या परीक्षा में शामिल होने के लिए निःशुल्क यात्रा प्राप्त करने और/अथवा लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार द्वारा जारी प्रमाण पत्र/अंतिम प्रमाण पत्र जमा करने से उसे खास भर्ती, जिसके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। इसके अलावा उन्हें 2 वर्षों की अवधि के लिए पूरे देश में सभी रेभवो द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं से रोक भी दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है।

14.3 उम्मीदवार को एक निर्धारित अवधि/जीवन भर के लिए रेभवो की सभी परीक्षाओं से रोक दिया जाएगा यदि (i) उम्मीदवार एक ही पद और श्रेणी के लिए कई आवेदन पत्र जमा करता है, (ii) उम्मीदवार एक ही पद या श्रेणी के लिए विभिन्न समुदाय के साथ कई आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा, (iii) उम्मीदवार एक पद या श्रेणी के लिए विभिन्न फोटो के साथ कई आवेदन करता है; और (iv) उम्मीदवार एक ही पद और श्रेणी के लिए विभिन्न दस्तावेजों के साथ कई आवेदन करता है।

14.4 परीक्षा में गलत तरीकों का उपयोग करते हुए पाए जाने पर या परीक्षा में शामिल होने के लिए अपनी जगह किसी और को भेजने पर उम्मीदवार को जीवन भर के लिए सभी आर/आरसी की सभी परीक्षाओं में भाग लेने से रोक दिया जाएगा। उन्हें रेलवे में किसी नियुक्ति से भी रोक दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों पर एक/आइएआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

14.5 रेभवो को कोई भी झूठी सूचना प्रस्तुत करने या किसी भी चरण में जानबूझकर कोई भी सूचना छिपाए जाने पर उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जा सकता है तथा रेलवे में नियुक्ति हेतु किसी परीक्षा का चयन, से या किसी सरकारी सेवा से प्रतिबंधित किया जा सकता है और यदि नियुक्ति हो जाती है तो ऐसे उम्मीदवारों की सेवा समाप्त की जा सकती है।

14.6 **चेतावनी**

अप रेलवे में प्रभाव द्वारा या अनुचित और अनैतिक साधनों द्वारा रेलवे में नौकरी दिलाने की झूठी प्रतिज्ञाओं द्वारा उगने की कोशिश करने वाले दस्ताओं और नौकरी दिलाने वाले ठगों से सावधान रहें, रेलवे भर्ती बोर्ड में अपनी ओर से कार्य करने के लिए कोई एजेंट या कॉमिशन केन्द्र नहीं बनाया है। उम्मीदवारों को किसी व्यक्ति, एजेंट द्वारा किए गए ऐसे दावों के विरुद्ध सावधान किया जाता है। उम्मीदवारों का चयन पूर्णतः मेधा के अनुसार किया जाता है। कृपया बेईमान व्यक्तियों से सावधान रहें और उनके जाल में नहीं फसें। रेभवो को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करने वाले उम्मीदवारों को आयोग घोषित कर दिया जाएगा और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

15. इस संबंध में विवरण कि आवेदन-पत्र कितने पत्र पर भेजे, एकल आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए जाने हेतु श्रेणी का समूहीकरण, आईपीओ/डीडी, किसके पक्ष में हो तथा स्थानीय भाषा का विकल्प आदि नीचे दिया गया है :-

रे. भ. बो. का नाम	वेबसाइट पता और फोन नंबर	आवेदन पत्र भेजने का पता	एकल/अलग-अलग आवेदन पत्र	डीडी/आईपीओ/किसके पक्ष में हो	स्थानीय भाषा का विकल्प (हिंदी, अंग्रेजी एवं उर्दू के अलावा)
अहमदाबाद	www.rtbahmedabad.gov.in 079-22940858	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, प्रथम तल, मीटर गेज रेलवे स्टेशन बिल्डिंग, अहमदाबाद-380022	(i) कोटि सं. 01 के लिए एकल आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 05 और 06 के लिए एकल आवेदन पत्र	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, अहमदाबाद, अहमदाबाद में देय	गुजराती
अजमेर	www.rtbajmer.org 0145-2423292	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, 2010, मेहरू मार्ग, निकट अम्बेडकर सर्कल, अजमेर-305028	(i) कोटि सं. 01 एवं 02 के लिए एकल आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 03 एवं 04 के लिए एकल आवेदन पत्र (iii) कोटि सं. 05 एवं 06 के लिए एकल आवेदन पत्र	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, अजमेर, अजमेर में देय	गुजराती, पंजाबी
इलाहाबाद	www.rtbaid.nic.in 0532-2430472	सदस्य सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, जीएम (एनसीआर बिल्डिंग के सामने), निकट सूबेदारगंज रेलवे अस्पताल, सूबेदारगंज, इलाहाबाद-211033)	(i) कोटि सं. 01 एवं 02 के लिए एकल आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 03 एवं 04 के लिए एकल आवेदन पत्र (iii) कोटि सं. 05 और 06 के लिए एकल आवेदन पत्र	सदस्य सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, इलाहाबाद, इलाहाबाद में देय	
बंगलौर	www.rtbnc.gov.in 080-23330378	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, 18, मिलर्स रोड, बंगलौर-560046	(i) कोटि सं. 02 के लिए एकल आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 03 एवं 04 के लिए एकल आवेदन पत्र (iii) कोटि सं. 05 और 06 के लिए एकल आवेदन पत्र	अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड, बंगलौर, बंगलौर में देय	कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी, कोंकणी
भोपाल	www.rtbpl.nic.in 0755-2746660	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, ईस्ट कालोनी, भोपाल-462053	(i) कोटि सं. 02 के लिए एकल आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 03 एवं 04 के लिए एकल आवेदन पत्र	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, भोपाल, भोपाल में देय	गुजराती
भुवनेश्वर	www.rtbbs.gov.in 0674-2303015	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, डी-79/80, रेल विहार, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर-751023 (उड़ीसा)	(i) कोटि सं. 03 एवं 04 के लिए एकल आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 05 एवं 06 के लिए एकल आवेदन पत्र	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में देय	उड़िया, तेलुगु
बिलासपुर	www.rtbilaspur.gov.in 07752-247291	सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, दफ्तर रेलवे मुख्यालय - महाप्रबंधक कार्यालय के पीछे, कार्यालय परिसर, बिलासपुर-495004 (छत्तीसगढ़)	(i) कोटि सं. 01 एवं 02 के लिए एकल आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 03 एवं 04 के लिए एकल आवेदन पत्र (iii) कोटि सं. 06 के लिए एकल आवेदन पत्र	सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, बिलासपुर, बिलासपुर में देय	मराठी, उड़िया
चंडीगढ़	www.rtbcdg.org 0172-2793414	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, एससीओ नं. 34, द्वितीय तल, सेक्टर 7 सी, चंडीगढ़-160019	(i) कोटि सं. 01 एवं 02 के लिए एकल आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 04 के लिए एकल आवेदन पत्र	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, चंडीगढ़, चंडीगढ़ में देय	पंजाबी
चेन्नै	www.rtbchennai.net 044-28275323	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, 5 डॉ. पीवी चेरियन फ्रीस्टेड रोड, एथिराज कालेज के पीछे, इमोर, चेन्नै-600028	(i) कोटि सं. 03 एवं 04 के लिए एकल आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 05 के लिए एकल आवेदन पत्र	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, चेन्नै, चेन्नै में देय	तमिल, तेलुगु
गोरखपुर	www.rtbgp.gov.in 0551-2201209	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, स्टेशन रोड, गोरखपुर-273019	(i) कोटि सं. 01 के लिए एकल आवेदन पत्र	अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड, गोरखपुर, गोरखपुर में देय	
जम्मू-श्रीनगर	www.rtbjammu.nic.in 0191-2476757	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे कालोनी (पश्चिम) जम्मू-180012	(i) कोटि सं. 01 के लिए एकल आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 04 के लिए एकल आवेदन पत्र (iii) कोटि सं. 06 के लिए एकल आवेदन पत्र	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, जम्मू, जम्मू में देय	पंजाबी
कोलकाता	www.rtbkolkata.org 033-25432004	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, मेट्रो रेलवे, एवी काम्पलेक्स (आरजी कार मंडिकल कालेज एवं अस्पताल के सामने), आरजी कार रोड, कोलकाता-700037 (प.ब.)	(i) कोटि सं. 01 एवं 02 के लिए एकल आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 04 के लिए एकल आवेदन पत्र	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, कोलकाता, कोलकाता में देय	बंगाली
मालदा	www.rtbmalda.gov.in 03512-264567	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, कालाबाड़ी रेलवे कालोनी, पो.आ. इल्लसलिया, मालदा-732102 (प.ब.)	(i) कोटि सं. 01 एवं 02 के लिए एकल आवेदन पत्र	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, मालदा, मालदा में देय	बंगाली
मुंबई	www.rtbmumbai.gov.in 022-23090422	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, मण्डल कार्यालय परिसर, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-400022	(i) कोटि सं. 01 एवं 02 के लिए एकल आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 03 एवं 04 के लिए एकल आवेदन पत्र (iii) कोटि सं. 05 के लिए एकल आवेदन पत्र	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, मुंबई, मुंबई में देय	मराठी, गुजराती, कन्नड़
मुजफ्फरपुर	0621-2213405	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, लीची धामान, मुजफ्फरपुर-842001	(i) कोटि सं. 01 एवं 02 के लिए एकल आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 03 के लिए एकल आवेदन पत्र (iii) कोटि सं. 06 के लिए एकल आवेदन पत्र	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में देय	
पटना	www.rtbpatna.gov.in 0612-2677011	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, महेंद्रगुआट, पटना-800004	(i) कोटि सं. 01 एवं 02 के लिए एकल आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 03 के लिए एकल आवेदन पत्र (iii) कोटि सं. 05 एवं 06 के लिए एकल आवेदन पत्र	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, पटना, पटना में देय	
रांची	www.rtbanchi.org 0651-2461535	सदस्य सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे कार्यालय परिसर, छटिया, रांची-834027 (झारखण्ड)	(i) कोटि सं. 01 एवं 02 के लिए एकल आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 03 एवं 04 के लिए एकल आवेदन पत्र (iii) कोटि सं. 06 के लिए एकल आवेदन पत्र	सदस्य सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, रांची, रांची में देय	उड़िया, बंगाली
सिकंदराबाद	www.rtbsec.org 040-27821663	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, साउथ. लालगुडा, सिकंदराबाद-500017	(i) कोटि सं. 01 के लिए एकल आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 03 एवं 04 के लिए एकल आवेदन पत्र (iii) कोटि सं. 06 के लिए एकल आवेदन पत्र	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में देय	तेलुगु, मराठी, कन्नड़, उड़िया
तिरुवनंतपुरम	www.rtbthiruvananthapuram.net 0471-2323857	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, धम्मनूर, तिरुवनंतपुरम-695001	(i) कोटि सं. 03 एवं 04 के लिए एकल आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 06 के लिए एकल आवेदन पत्र	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम में देय	मलयालम, तमिल, कन्नड़